प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा   दिनाँक 19.09.2026

थाना खेकड़ा पुलिस ने चेकिंग के दौरान 02 पशु चोरों को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था) में किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर तथा 01 मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर (बिना नम्बर प्लेट) बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 19.09.2026 को समय लगभग 22:03 बजे थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु ग्राम बसी नहर पटरी रोड पेरिफेरल अंडरपास पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान सामने से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिस पर तीन व्यक्ति सवार थे। पुलिस टीम द्वारा टॉर्च के माध्यम से रुकने का इशारा किया गया तो उक्त व्यक्ति पुलिस को देखकर हड़बड़ा गए तथा मोटरसाइकिल को तेजी से वापस मोड़कर बड़ागांव की ओर जाने वाले खड़ंजा मार्ग पर भागने लगे। इसी दौरान मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फिसल गई। मोटरसाइकिल गिरते ही सबसे पीछे बैठा व्यक्ति खेतों की ओर भागने में सफल हो

गया। मोटरसाइकिल चला रहे युवक एवं बीच में बैठे युवक द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिससे पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वे घायल होकर मौके पर ही पकड़ लिए गए। पकड़े गए अभियुक्तों से नाम-पता पूछने पर मोटरसाइकिल चालक ने अपना नाम शान मोहम्मद पुत्र कासिम निवासी ग्राम लावड़, थाना इंचौली, जनपद मेरठ तथा दूसरे अभियुक्त ने अपना नाम इसरार पुत्र इशाक निवासी निवासी ग्राम लावड़, थाना इंचौली, जनपद मेरठ बताया। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर तथा 01 मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई है। घायल दोनों अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खेकड़ा भेजा गया, जहां उनका उपचार कराया गया। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही एवं तलाश की जा रही है।

उक्त घटना के संबंध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.शान मोहम्मद पुत्र कासिम उम्र 40 वर्ष निवासी- ग्राम लावड़ थाना इंचौली जनपद मेरठ । (घायल)

2.इसरार पुत्र इसाक उम्र 35 निवासी- ग्राम लावड़ थाना इंचौली जनपद मेरठ । (घायल)

पूछताछ विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया है कि उनके फरार तीसरे साथी का नाम शादान पुत्र अनवार निवासी राशिद अली गेट, थाना लोनी, जनपद गाजियाबाद है। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उन्होंने दिनांक 11.09.2026 की रात्रि में ग्राम खासपुर, थाना चांदीनगर, जनपद बागपत तथा दिनांक 18.09.2026 की रात्रि में ग्राम गढ़ी कलंजरी, थाना चांदीनगर, जनपद बागपत से भैंस चोरी की थी। अभियुक्तों द्वारा यह भी बताया गया कि आज भी वे चोरी करने के उद्देश्य से स्थान की तलाश में आए थे।

बरामदगी का विवरण-

- 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर
- 01 मोटर साइकिल स्प्लेण्डर बिना नम्बर प्लेट।

गिरफ्तार अभियुक्त शान मौहम्मद का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 16/2021 धारा 414 भादवि थाना ब्रह्मपुरी जनपद मेरठ।
2.मु0अ0सं0 93/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना ब्रह्मपुरी जनपद मेरठ।
3.मु0अ0सं0 632/2015 धारा 394/411 भादवि थाना दौराला जनपद मेरठ।
4.मु0अ0सं0 724/2015 धारा 414/411 भादवि थाना दौराला जनपद मेरठ।
5.मुं0अ0सं0 70/2016 धारा 380/457 भादवि थाना दौराला जनपद मेरठ।
6.मु0अ0सं0 390/2015 धारा 398/401 भादवि थाना इन्चौली जनपद मेरठ।
7.मु0अ0सं0 393/2015 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना इन्चौली जनपद मेरठ।
8.मु0अ0सं0 216/2016 धारा 379 भादवि थाना इन्चौली जनपद मेरठ।
9.मु0अ0सं0 260/16 धारा 380 भादवि थाना इन्चौली जनपद मेरठ।
10.मु0अ0सं0 332/2016 धारा 394/411 भादवि थाना इन्चौली जनपद मेरठ।
11.मु0अ0सं0 336/2016 धारा 379 भादवि थाना इन्चौली जनपद मेरठ।
12.मु0अ0सं0 370/16 धारा 380/411/457 भादवि थाना इन्चौली जनपद मेरठ।
13.मु0अ0सं0 377/16 धारा 398/401 भादवि थाना इन्चौली जनपद मेरठ।
14.मु0अ0सं0 380/16 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना इन्चौली जनपद मेरठ।
15.मु0अ0सं0 405/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना इन्चौली जनपद मेरठ।
16.मु0अ0सं0 14/2021 धारा 380/411/457 भादवि थाना मुंडाली जनपद मेरठ।
17.मु0अ0सं0 15/2021 धारा 380/411/457 भादवि थाना मुंडाली जनपद मेरठ।
18.मु0अ0सं0 445/2020 धारा 380/411 भादवि थाना सरधना जनपद मेरठ।
19.मु0अ0सं0 683/2020 धारा 380/411 भादवि थाना टीपी नगर जनपद मेरठ।

गिरफ्तार अभियुक्त इसरार का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 16/2021 धारा 414 भादवि थाना ब्रह्मपुरी जनपद मेरठ।

2.मु0अ0सं0 17/2021 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना ब्रह्मपुरी जनपद मेरठ।
3.मु0अ0सं0 93/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना ब्रह्मपुरी जनपद मेरठ।
4.मु0अ0सं0 216/2016 धारा 379 भादवि थाना इन्चौली जनपद मेरठ।
5.मु0अ0सं0 332/2016 धारा 394/411 भादवि थाना इन्चौली जनपद मेरठ।
6.मु0अ0सं0 363/2016 धारा 379 भादवि थाना इन्चौली जनपद मेरठ।
7.मु0अ0सं0 370/816 धारा 380/411/457 भादवि थाना इन्चौली जनपद मेरठ।
8.मु0अ0सं0 377/16 धारा 398/401 भादवि थाना इन्चौली जनपद मेरठ।
9.मु0अ0सं0 379/16 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना इन्चौली जनपद मेरठ।
10.मु0अ0सं0 466/20 धारा 380 भादवि थाना इन्चौली जनपद मेरठ।
11.मु0अ0सं0 347/24 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर।
12.मु0अ0सं0 537/2020 धारा 380/411/457/120(b) भादवि थाना व जनपद शामली।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री आशीष कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
3-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
4-उ0नि0 श्री मयंक प्रताप सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
5-है0का0 938 मनीष कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
6-है0का0 396 नितेश कुमार कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
7-है0का0 611 सतीश कपासिया थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
8-है0का0 392 उमेश भाटी थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
9-का0 893 राहुल शर्मा थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना छपरौली बागपत   दिनाँक 19.09.2026

थाना छपरौली पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियों में मारपीट करने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

सोशल मीडिया पर ग्राम लूम्ब में मारपीट करते हुए एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक व्यक्ति द्वारा स्कूल के विद्यार्थी के साथ मारपीट की गई। थाना छपरौली पुलिस द्वारा वायरल वीडियों का संज्ञान लिया गया एवं मारपीट करने वाले व्यक्ति को चिन्हित किया गया जिसमें मारपीट करने वाले अभियुक् को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.विकास उर्फ विक्की पुत्र अशोक निवासी ग्राम लूम्ब पट्टी खेलदार थाना छपरौली जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सुजीत कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत

2-है0का0 756 नौशाद अहमद थाना छपरौली जनपद बागपत।

3- है0का0 110 सुबोध कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत **दिनाँक 19.09.2026**

थाना बडौत पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम के 85 मुकदमो से सम्बन्धित 2205 लीटर शराब को नष्ट किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में थाना बडौत पुलिस द्वारा श्रीमान क्षेत्राधिकारी सर्किल बडौत की उपस्थिति में थाना बडौत पर दाखिल आबकारी अधिनियम के 85 मुकदमो से सम्बन्धित माल जिसमें कुल 2205 लीटर शराब को गड्ढा खुदवाकर विनिष्टीकरण की कार्यवाही करायी गयी। मौके पर क्षेत्राधिकारी सर्किल बडौत, थाना प्रभारी बडौत व अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 19.09.26**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 619/26 धारा 126(2)/190/191(2)/191(3)/131/352/115(2)/109(1)/324(4)/61(2) बीएनएस से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 16.09.26 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी करतार सिंह पुत्र रामपाल निवासी ग्राम निरौजपुर गुर्जर थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.सागर पुत्र रणधीर निवासी ग्राम निरौजपुर गुर्जर थाना बागपत, 2.आकाश, 3.सूरज, 4 निवासीगण ग्राम ग्यासरी उर्फ गाधी थाना कोतवाली बागपत एवं 04 व्यक्ति अज्ञात द्वारा वादी के पुत्र कुणाल व गांव के सन्दीप पुत्र कृष्ण विकास पुत्र नेपाल का रास्ता रोककर हाथ मे लिये लाठी, डंडो, पिस्टल लोहे के पन्च से जानलेवा हमला करना, मारपीट करना तथा हाथ मे ली पिस्टल से जान से मारने की नियात

से तीन फायर करना शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देना। इस सम्बध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोवताली बागपत पर मु0अ0स0 619/26 धारा 126(2)/190/191(2)/191(3)/131/352/115(2)/109(1)/ 324(4)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 619/26 धारा 126(2)/190/191(2)/191(3)/131/352/115(2)/109(1)/ 324(4)/61(2) बीएनएस मे वाँछित 01 अभियुक्त सागर पुत्र रणवीर को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सागर पुत्र रणवीर उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम नौरोजपुर गुर्जर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अकित कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

2-है0का0 758 दिनेश थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

3-का0 191 गजेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

प्रेस नोट

थाना कोवताली बागपत दिनाँक 19.09.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 623/26 धारा 305(क) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए, 01 शातिर चोर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक लोहे का कटर व चोरी किया ताँबे का तार वजन करीब 1 किलो 500 ग्राम बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-1

दिनाँक 17.09.26 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री राहुल दीक्षित पुत्र सुनील दीक्षित निवासी ग्राम मीतली थाना बागपत ने उपस्थित आकर एक प्रार्थना पत्र दिनांक 14/15.09.2026 की रात्रि को अज्ञात चोरो द्वारा वादी व अन्य 6 व्यक्तियो की ट्यूबवैल का ताला तोडकर स्टार्टर , केबिल व कटआउट चोरी कर लिये है। इस सम्बन्ध मे प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 623/2026 धारा 305(क) बी.एन.एस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 623/2026 धारा 305(क) बी.एन.एस का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लोहे का कटर तथा चोरी किया गया ताँबे का तार वजन करीब 1 किलो 500 ग्राम बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बागपत पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-शाकिब पुत्र यामीन उर्फ पप्पन निवासी मौ0 गन्दी गली कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- **ताँबे का तार करीब 1 किलो 500 ग्राम (चोरी का) (सम्बन्धित मु0अ0स0 623/26 धारा 305(क)/317(2) बीएनएस थाना बागपत जनपद बागपत।**
- **एक लोहे का कटर**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 सीमा सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
2-है0का0 437 बलजीत सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
3-है0का0 438 कवित चौधरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
4-का0 369 विशाल पंवार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
5-है0का0 475 करतार सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
6-का0 245 अनिकेत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत   दिनाँक 19.09.26

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम में 02 अभियुक्तो को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से तस्करी में प्रयुक्त एक गाड़ी बुलेरो पिकअप जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 06 पशु बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से तस्करी में प्रयुक्त एक गाड़ी बुलेरो पिकअप रजि0नं0 UP17BT4677 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 06 पशु बरामद हुए हैं। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 629/26 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. जावेद पुत्र असगर निवासी मौ0 कैतीपुरा थाना कोतवाली बागपत उम्र 27 वर्ष
2. साबिर पुत्र यासीन निवासी मौ0 कैतीपुरा थाना कोतवाली बागपत उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- तस्करी में प्रयुक्त एक गाड़ी बुलेरो पिकअप रजि0नं0 UP17BT4677
- क्रूरतापूर्वक भरे हुए 06 पशु।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-**उ0नि0 श्री दलजीत सिह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।**

2- है0का0 599 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3.का0 1042 अनवीश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।